न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

क्रम संख्या : 560/2016

1. हरभजन कौर पत्नी इकबाल सिंह जाति जटसिख उम्र 70 वर्ष निवासी चक 52 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम --प्रार्थी--

1. दलजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 52 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

1. रमेश गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से --अप्रार्थीगण--
2. इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए

--निर्णय-- दिनांक : 22/10/18

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 52एफ की जमाबंदी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 57/65 के मु0 नं0 21 के किला नं0 19/1 की 0.127 है0 दक्षिणी हिस्सा, किला नं0 21/2 की 0.126 है0 दक्षिणी पूर्वी हिस्सा तथा किला नं0 22 सालम कुल 2 बीघा अर्थात 0.506 है0 भूमि प्रार्थीया की खरीदशुदा है तथा बैयनामा दिनांक 21.12.2015 से बेरोकटोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस भूमि की सिचाई हेतु मु0 नं0 21 के किला नं0 21 में कुतरी आड़ बना हुआ है। यह आड़ दक्षिणी पश्चिमी कोने से उत्तरी पूर्वी कोने से गत साठ वर्षो से बना है जिससे प्रार्थीया अपनी भूमि में सिंचाई करती आ रही है। इसी चक के खाता सं0 38/36 के मु0 नं0 21 के किला नं0 2,3,8,9 सालम, किला नं0 10 के 0.227 है0 , किला नं0 11 के 0.228 है0 , किला नं0 12 सालम, किला नं0 13/1 के 0.127 है0, किला नं0 19/2 के 0.126 है0, किला नं0 20 के 0.228 है0 एवं किला नं0 21/1 के 0.101 है0 कुतरी उत्तरी पश्चिमी हिस्सा अप्रार्थी दलजीत सिह के कब्जा काश्त में है। प्रार्थीया व अप्रार्थी अपनी अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो प्रार्थीया को धमकी दे रहा है कि वह मु0 नं0 21 के किला नं0 21 में बने कुतरी आड़ को नष्ट कर देगा तथा प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा कर लेगा। यदि उसने ऐसा किया तो प्रार्थीया को अपने हितो से महरूम रहना पडेगा। इस संबंध में प्रार्थीया ने अप्रार्थी से मिलकर कहा कि वह उसकी भूमि पर कब्जा करने से निषेध रहे तो उसने कहा कि वह कब्जा करेगा और कुतरी आड़ को नष्ट करेगा। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोक पाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन एंव राइट एवं टाइटल तथा प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 52एफ की जमाबंदी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 57/65 के मु0 नं0 21 के किला नं0 19/1 की 0.127 है0 दक्षिणी हिस्सा, किला नं0 21/2 की 0.126 है0 दक्षिणी पूर्वी हिस्सा तथा किला नं0 22 सालम कुल 2 बीघा अर्थात 0.506 है0 भूमि जो प्रार्थीया की खरीदशुदा है, में जबरदस्ती कब्जा एवं इस भूमि में पानी लगाने हेतु मु0 नं0 21 के किला नं0 21 में कुतरी आड़ के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता उपस्थित आए एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रार्थीया के द्वारा जवाब उत्तर जवाब पेश किया गया। प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया।

बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीया के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्षों में मुख्य विवाद चक 52एफ की मु0 नं0 21 के किला नं0 21 में बनी कुतरी आड़ को लेकर है। जिसके संबंध में अप्रार्थी के द्वारा इकरारनामा बाबत घरू बंटवारानामा की छायाप्रति पेश की है। प्रार्थी के द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट पेश की गयी है। प्रार्थी के द्वारा इसी कुतरी आड़ के संबंध में एक वाद माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर में पेश किये जाने बाबत दस्तावेज पेश किये गये है। प्रार्थी के द्वारा दोनो न्यायालयों में एक ही बिन्दु को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किये गये है। अप्रार्थी के द्वारा पेश किये गये बंटवारानामा में किला नं0 21 में दक्षिण दिशा से खाला चलने एवं इस खाला में महेन्द्र सिंह की बारी लगाने के तथ्य अंकित है। प्रार्थीगण के द्वारा वादगत भूमि महेन्द्र सिंह से खरीद किया जाना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्रीमति रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner